

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 77 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय प्रथम तल, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर,
(राज.) 302005 शाखा कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक रानोली, जिला सीकर (राजस्थान)

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र श्री दानाराम बुरडक, पता—ग्राम मान्डोता, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला
सीकर (राज.)

—अप्रार्थी (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 18 नवम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बगड़िया द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र श्री दानाराम बुरडक की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र श्री दानाराम बुरडक के स्वामित्व की चल सम्पत्ति HYUNDAI, i20 Asta 1.2 Mt White Car है। जिसका Reg. No. 23BH8799M, Engine No. G4LFPV336596, Chassis No. MALBJ512LPM274623 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 7,82,000/— रुपये (अक्षरे रुपये सात लाख बयासी हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.05.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी **ओमप्रकाश पुत्र श्री दानाराम बुरडक** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ओमप्रकाश पुत्र श्री दानाराम बुरडक** के स्वामित्व की चल सम्पत्ति **HYUNDAI, i20 Asta 1.2 Mt White Car** है। जिसका **Reg. No. 23BH8799M, Engine No. G4LFPV336596, Chassis No. MALBJ512LPM274623** है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **18 नवम्बर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर